कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

पत्रांक /14–10, दिनांकःअलीगढ़ःसितम्बर, 23, 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम,1980
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– **जनपद–एटा में टूण्डला–एटा मार्ग (एस0एच0–31) कि0मी0 32–33 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम–जिलावली के गाटा संख्या–131 खसरा सं0 393(स) पर विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।**

संदर्भः– आपका पत्रांक 531/11सी0 एटा, दिनांक 04.09.2015

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्रांक 8बी/06/28/2015/एफ0सी0/721, दिनांक 26.08.2015 से प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा से प्राप्त बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0–1-प्रस्ताव का भाग–4 अधोहस्ताक्षरी से संबंधित नहीं है।

बिन्दु सं0–2-प्रस्ताव के पृष्ठ–27 व 28 में संरक्षित वनभूमि की अधिसूचना को सक्षम क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–3-पृष्ठ सं0–45 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र डिजीटल तैयार कर संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर को दर्शाते हुए भू संदर्भित डिजीटल मानचित्र KML FILE में प्रस्तुत कर दिया गया है। भू संदर्भित डिजीटल मानचित्र की प्रति सी0डी0 संलग्न है।

बिन्दु सं0–4-पृष्ठ सं0–47 व 48 दी गई बचनबद्वता पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बिन्दु सं0–5-पृष्ठ 62 पर मानचित्र में इन्डेक्स बनाकर प्रस्तावित स्थल को हरे पेन से दर्शित कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–6 बिन्दु सं0–3 में सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–7–पृष्ठ सं0–64 पर संलग्न बचनबद्वता प्रमाण पत्र में वनस्पति और प्राणि जगत की कोई दुर्लभ/सकटापन्न/विशिष्ठ प्रजाति से सम्बन्धित तथा पृष्ठ 65 पर संलग्न बचनबद्वता प्रमाण पत्र में संरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल प्रतिष्ठान और आप अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र से संबंधित है।

अतः दोंनो प्रमाण–पत्र अलग–अलग हैं। जिस पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये गये हैं।

बिन्दु सं0–8-प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना कर संलग्न कर दी गई है।

उक्तानुसार बिन्दुवार त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव–2 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक।175/14–1, समदिनांकित।

1– प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्रांक 638/14–1, दिनांक 22.09.2015 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि–टैरीटेरी सेल्स मैनेजर एस्सार आयल लिमिटेड, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।